न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः– विवेक गुर्जर, आर.ए.एस.
प्रकरण सख्याः– 83/24 रेवेन्यु दायर दिनांकः–11.12.2024

श्रीमती लालकी उर्फ लाली पत्नी लेबा कटारा उम्र वयस्क निवासी घोडाखरा तहसील झोंथरी पाल जिला डूंगरपुर (राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

भूमिधारक तहसीलदार झोंथरीपाल राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री शांतिलाल कटारा।
2. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

निर्णय दिनांक– 08.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया गाँव घोडाखरा पोहरी खातुरात तहसील झोंथरी पाल कि निवासी होकर निवासरत है। प्रार्थीया के मौझा घोडाखरा पटवार हल्का पोहरी खातुरात तहसील झौथरी पाल के खाता संख्या 222 नया खाता संख्या 111 पुराना एवं खाता संख्या 10 में शामिलाती भूमि है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो गया है स्वर्गवास हो जाने के पशचात जो नामांतरण प्रमाणित हुआ है, जिसमें प्रार्थीया का नाम लाली ईन्द्राज कर दिया गया है। वास्तविक नाम लालकी है। प्रार्थीया लालकी का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, पहचान पत्र आदि में लालकी ही है। जिससे समस्त कार्य लालकी के नाम से होते है। मौझा घोडाखरा के खाता संख्या 222 में एवं खाता संख्या 10 में लालकी का नाम लाली ईन्द्राज कर दिया है जो सर्वथा गलत है उक्त खातो में खाता संख्या 222 एवं खाता संख्या 10 में लाली दर्ज होने से प्रार्थीया को उक्त खातो कि खराबा राशी एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जिसे प्रार्थीया को भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया लाली का नाम लालकी शुद्ध करने जमाबंदी खाता संख्या 222 एवं खाता संख्या 10 में शुद्धिकरण कर ईन्द्राज दुरस्तीकरण करना न्यायहित न्याय संगत हैं। प्रार्थीया का नाम खाता 222 एवं खाता संख्या 10 में शुद्ध नहीं किया गया तो भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में उक्त खाता संख्या 222 में लालकी पत्नी स्वर्गीय लेम्बा 1/24 हिस्सा एवं खाता संख्या 10 हिस्सा लाली पत्नी स्व. लेम्बा के स्थान पर लालकी पत्नी स्व. लेम्बा कटारा शुद्ध कर ईन्द्राज दुरस्तीकरण करने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा

प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरीए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार झौथरीपाल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार प्रार्थिया का वास्तविक नाम लालकी होना पाया गया है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम लालकी है। राजकीय दस्तावेजों में भी नाम लालकी अंकित है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार रिपोर्ट, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेजों, पत्रावली एवं साक्ष्य शपथ–पत्र का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थिया का नाम लालकी होना पाया गया है। उस अनुसार प्रार्थिया कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौझा घोडाखरा पटवार हल्का पोहरी खातुरात तहसील झौथरी पाल के नया खाता संख्या 222 पुराना खाता संख्या 111 एवं खाता संख्या 10 की शामिलाती भूमि में प्रार्थीया का नाम लाली के बजाय लालकी रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाना उचित है।

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की आराजी ग्राम मौझा घोडाखरा पटवार हल्का पोहरी खातुरात तहसील झौथरी पाल के खाता संख्या 222 नया खाता संख्या 111 पुराना के कुल खसरे 85 कुल रकबा 11.7425 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 10 के खसरा संख्या 3601/888 व 3602/1055 किता 02 कुल रकबा 0.7281 हैक्टेयर शामिलाती भूमि में प्रार्थीया का नाम लाली के बजाय लालकी रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है। तहसीलदार झौंथरीपाल आदेश की पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक मजिस्ट्रेट
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा